राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीजन	भारतीय खाद्य निगम	राज्य	नागरिक पूर्ति निगम	सहकारी	कृषि उद्यम	राज्य [illegible] निगम	उपभोक्ता [illegible] सहकारी संघ	जोड़
उत्तर प्रदेश	1996-97	13928	34500	21666	104394	50815	50	35354	260707
	1995-96	74487	261979	121534	475742	194718	—	173313	1301773
दिल्ली	1996-97	—	—	—	—	—	—	—	0
	1995-96	486	—	—	—	—	—	—	486
अखिल भारत	1996-97	2172781	1086521	1299178	2210366	259141	1117398	35354	8180739
	1995-96	3211952	1865766	1717988	3384761	495683	1477238	173313	12326701

*राजस्थान राज्य भण्डारण निगम द्वारा वसूल की गई 71025 टन की मात्रा और भारतीय खाद्य निगम उप एजेंट के रूप में राजस्थान क्रय-विक्रय सहकारी संघ द्वारा वसूल की गई 42990 टन की मात्रा शामिल है।

&राजस्थान राज्य भण्डारण निगम द्वारा वसूल की गई 12624 टन की मात्रा और भारतीय खाद्य निगम के उप एजेंट के रूप में राजस्थान क्रय-विक्रय सहकारी संघ द्वारा वसूल की गई 136104 टन की मात्रा शामिल है।

सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में चीनी की मांग एवं आपूर्ति

*349. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994 के दौरान सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में ज़िलावार कितनी चीनी का उपभोग किया गया और मांग की तुलना में कितनी मात्रा में चीनी की आपूर्ति की गई;

(ख) क्या मांग की तुलना में चीनी की कम आपूर्ति की गई है और उसके परिणामस्वरूप चीनी की कालाबाजारी के संबंध में बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) वर्ष 1996 के दौरान उक्त क्षेत्र के जिलों को चीनी की कितनी मात्रा आवंटित की जाएगी और इस परियोजनार्थ केन्द्रीय पूल से चीनी की कितनी मात्रा उपलब्ध कराई जाएगी;

(घ) क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि हेतु और चीनी जारी करने की कोई मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (ग) चीनी की खपत का कोई सांख्यिकी (आंकड़ा) नहीं रखा जाता है। उपभोक्ता अपनी चीनी की आवश्यकता को कुछ सार्वजनिक वितरण प्रणाली से तथा बाकी खुले बाजार से प्राप्त कर सकता है। सामान्यतः गुजरात सहित अन्य राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह के समान उपलब्धता के मानदंड पर आकलन कर लेवी चीनी की आपूर्ति की जाती है। इसका वर्तमान संदर्भ 1991 की जनगणना की जनसंख्या है। इसके अलावा व्यक्तिगत खपत के लिए जितनी भी चीनी की आवश्यकता है, उसे खुले बाजार से खरीदा जाता है। इस उद्देश्य के लिए आवंटन नहीं किया जाता है।

(घ) और (ङ) चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्धारित चीनी राज्यों के बीच चीनी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के समान मानदंड को ध्यान में रखकर आवंटित की जाती है, अतः राज्य के कोटे में वृद्धि के प्रश्न पर केवल सामान्य संशोधन के संदर्भ में ही विचार किया जा सकता है।

गुजरात के लिए लेवी चीनी का मासिक हिस्सा 17557 मी० टन बैठता है। राज्य सरकार ने वर्ष 1996 के लिए अपने वार्षिक त्यौहार कोटे को 4878 मी० टन के 9400 मी० टन तक बढ़ाने का अनुरोध किया था, इसके प्रति गुजरात को 9756 मी० टन आवंटित किया गया था।

Orders to BHEL for AC/DC machines

*350. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Bharat Heavy Electricals Ltd. have secured a record number of orders for AC/DC machines during 1995-96;